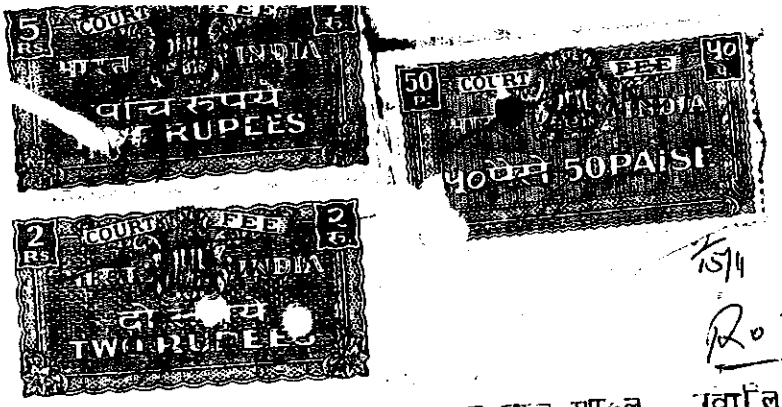

5 COURT FEE INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

50 P. COURT FEE INDIA 50 पैसे 50 PAISE

2 Rs. COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES

(128)

1514

R 0 154-V/91

न्यायालय माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल, ग्वालियर

==

प्रकरण क्रमांक : /91-92 निगरानी माल

राजाराम पुत्र श्री हरगोविन्द, आयु करीब 55 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम बोरिया, तहसील व जिला विदिशा म0प्र0 ---- आवेदक

बनाम

1- म0प्र0 शासन द्वारा सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी विदिशा,

2- हरवंश पुत्र श्री राजाराम, आयु वर्ष, निवासी ग्राम बोरिया तह0 जिला विदिशा

3- गुलाब सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह आयु करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम बोरिया जिला विदिशा ।

4- उधम सिंह पुत्र श्री चमन सिंह निवासी ग्राम खामखेड़ा, जिला विदिशा

5- रम्भोबाई बेवा श्री कालूराम आयु करीब 80 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी छोटे बालाजी मंदिर के पास नदवाना विदिशा

6- गोपाल सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह नाबालिग निवासी ग्राम खामखेड़ा नाबालिग सरपरस्त पिता श्री पूरन सिंह पुत्र श्री चमन सिंह निवासी खामखेड़ा, जिला विदिशा, म0प्र0 ।

-------अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सह पठित धारा 41 म0प्र0 अधिकतम जोत सीमा अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 1991 न्यायालय अपर आयुक्त

72-V

आर0 एस0 गुप्ता 15.11.91

15/11/91

Exp. 19-7-99

मृतक

Exp (1) बाबूलाल (2) शिवराम (3) सीताराम (4) लालसिंह [illegible]

8 शीताबाई पत्नी [illegible]

6 [illegible] पत्नी [illegible]

7 राधाबाई पत्नी [illegible]

द्वारा [illegible] आर. एस. गुप्ता 15-11-91

R. 154, v/91 विदिशा

भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग, प्रकरण क्रमांक 124/88-89 अपील एवं प्रकरण क्रमांक55/84-85 अपील न्यायालय कलेक्टर महोदय विदिशा एवं प्रकरण क्रमांक 52/77-78/अ-90/बी-3 न्यायालय सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी उन्मान म०प्र०शासन विरुद्ध राजाराम के आदेश दिनांक 30-4-85 के विरुद्ध प्रस्तुत ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रकरण के तथ्य

राजस्व निरीक्षक सीलिंग द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के आधिपत्य मे दिनांक 1-1-71 को 117-04 एकड़ एवं 7-3-74 को 119-39 एकड़ भूमि है जिससे म०प्र० कृषि जोतो का अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया तथा आवेदक की 41-13 एकड़ असिंचित भूमि अतिशेष घोषित किया जाना प्रस्तावित किया गया। आवेदक की ओर से सक्षमाधिकारी के आदेश दिनांक 30-4-85 के विरुद्ध कलेक्टर को अपील प्रस्तुत की गई कलेक्टर महोदय ने दिनांक 12-12-8 को अपील निरस्त की उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । विद्वान अपर आयुक्त महोदय ने निगरानी मानकर आदेश दिनांक16 अगस्त 91 को सक्षम अधिकारी के आदेश को सही मानकर प्रार्थी की द्वितीय अपील/निगरानी निरस्त कर दी ।

उक्त आदेश से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

निगरानी के आधार

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश अवैध अनियमित, विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के पुत्र प्रेमनारायण को व्यस्क होते हुए अव्यस्क मानने मे कानूनी भूल की है क्योंकि प्रेमनारायण के ... और 2 ... है इसलिए कानून के अनुसार प्रेमनारायण व्यस्क

क्रमशः- 2

... मान्य किया है ।

... मे आवेदक के पास सीलिंग ...

-3-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 154–पांच/91 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के प्रकरण क्रमांक अपील 124/88–89 में पारित आदेश दिनांक 16–8–91 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित धारा 42 म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक, सीलिंग द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक धारक के आधिपत्य में दिनांक 1–1–71 को 117.04 एकड़ एवं 7–3–74 को 119.39 एकड़ भूमि है और धारक द्वारा विवरणी पेश नहीं की गई है अतः म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम (जिसे आगे सीलिंग अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 10 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाये । उक्त प्रतिवेदन पर से प्रकरण पंजीब कर आवेदक को सूचनापत्र जारी किया गया एवं आवश्यक कार्यवाही उपरांत बरइंयर कइलरै 5–12–83 द्वारा ड्राफ्ट स्टेटमें जारी किया गया जिसके अनुसार धारक की 41.13 एकड़ असिंचित भूमि अतिशेष घोषित किया जाना प्रस्तावित किया गया । धारक ने दिनांक 16–1–84 को ड्राफ्ट स्टेटमेंपर आपत्ति प्रस्तुत की अनावेदक क्रमांक 2 मृतक हरबक्श द्वारा भी आपत्ति पेश की गई । सक्षम अधिकारी ने दोनों आपत्तियों पर विचार कर आदेश	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 30-4-85 द्वारा अंतिम आदेश पारित करते हुए धारक की 41.13 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई । इस आदेश के विरूद्ध धारक राजाराम ने कलेक्टर, विदिशा के न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 12-12-88 द्वारा निरस्त की । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं । 3/ अनावेदक कमांक 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जानेका अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक कमांक 2 के वारिसों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि सर्वे नं. 286 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि उनके आधिपत्य में है, जिसे अतिशेष घोषित करने में सक्षम अधिकारी ने त्रुटि की है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार कियाएवं अभिलेख का अवलोकन किया । विद्वान अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण में आये सम्पूर्ण तथ्यों एवं उभयपक्षों द्वारा उठाये गये हर बिंदु की विस्तार से विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है । सक्षम अधिकारी द्वारा भी ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर पक्षकारों द्वारा की गई आपत्ति पर विस्तार से विवेचना	

R 154-B/91 (विदिशा)

राजाराम विरूद्ध म0प्र0 रा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 30–4–85 द्वारा अंतिम आदेश पारित करते हुए धारक की 41.13 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई । इस आदेश के विरूद्ध धारक राजाराम ने कलेक्टर, विदिशा के न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 12–12–88 द्वारा निरस्त की । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं । 3/ अनावेदक कमांक 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जानेका अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक कमांक 2 के वारिसों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि सर्वे नं. 286 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि उनके आधिपत्य में है, जिसे अतिशेष घोषित करने में सक्षम अधिकारी ने त्रुटि की है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार कियाएवं अभिलेख का अवलोकन किया । विद्वान अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण में आये सम्पूर्ण तथ्यों एवं उभयपक्षों द्वारा उठाये गये हर बिंदु की विस्तार से विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है । सक्षम अधिकारी द्वारा भी ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर पक्षकारों द्वारा की गई आपत्ति पर विस्तार से विवेचना	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 154–पांच/91 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है । इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी ने धारक के परिवार के सदस्यों की पात्रता के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला है वह भी विधिसम्मत है और उसमें ऐसी कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिसके आधार पर उनके आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो । विद्वान कलेक्टर और अपर आयुक्त द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश जिसके द्वारा धारक की 41.13 एकड़ भूमि को अतिशेष घोषित किया गया है, की पुष्टि करने में कोई अनियमित या अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गइ है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–8–91 स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	